सत्यमेव जयते

बिहार सरकार
संसदीय कार्य विभाग

बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) नियमावली, 2006 (अद्यतन संशोधित) एवं बिहार विधान मंडल (सदस्यों को कम्प्यूटर उपकरण की सुविधा) नियमावली; 2011

का

समेकित संकलन

वर्ष 2015

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल (संसदीय कार्य) सचिवालय विभाग

।। अ धि सू च ना ।।

संख्या–सं0का01 / वि0मं0(सदस्यों)4023 / 2006–930 / दिनांक– 23 सितम्बर, 2006.

बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन) अधिनियम, 2006 (अधिनियम सं0–16, 2006) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, यथा :–

।। नि य मा व ली ।।

1. (1) यह नियमावली बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) नियमावली, 2006 कही जा सकेगी।

(2) यह नियमावली पहली अक्टूबर, 2006 से प्रवृत्त होगी।

2. इस नियमावली में, जब तक कोई बात विषय या सन्दर्भ के विरुद्ध न हो :–

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम, 2006.

(ख) "सदन" से अभिप्रेत है, यथास्थिति, बिहार विधान सभा या बिहार विधान परिषद;

(ग) "दिन" से अभिप्रेत है कलेंडर वर्ष का मध्य रात्रि से चौबीस घंटे का दिन;

(घ) "निवास स्थान" से अभिप्रेत है वह स्थान जो लिखित रूप में सूचित किया गया हो;

टिप्पणी :– निवास स्थान में किसी प्रकार का परिवर्तन नियमावली के आरंभ की तिथि से एक माह के भीतर सचिव को सूचित किया जाएगा।

(ड.) "सचिव" से अभिप्रेत है, यथास्थिति, विधान सभा या विधान परिषद् के सचिव तथा इसमें विधान सभा या विधान परिषद् के सचिव द्वारा सशक्त किये गये, यथास्थिति, संयुक्त सचिव, उप सचिव या अवर सचिव सम्मिलित हैं,

(च) "सदस्य के रूप में अपने कर्त्तव्यों से संबंधित कार्य" से अभिप्रेत है ऐसा कोई कार्य जो सामान्यतः सदन के कृत्यों से उदभूत हो और इसमें सदन या इसके पीठासीन पदाधिकारी द्वारा गठित, मनोनीत या नियुक्त विभिन्न समितियों, आयोगों, बोर्डों या अध्ययन दलों के कार्य अथवा किसी ऐसी समिति या सेमिनार आदि में, सदन के आदेशों और विनियमों द्वारा समिति के सदस्यों को सौंपे गये अन्य कार्य शामिल हैं, किन्तु इसमें सरकार अथवा स्वाशासी निगमित निकायों द्वारा गठित, निमित्त या नियुक्त समितियों, आयोगों, बोर्डों और अध्ययन दलों में भाग लेना शामिल नहीं है।

(ii) यदि वह वेतन की राशि इस नियम के अधीन प्राप्त होनेवाली राशि से न्यून हो तो वह इस नियमावली के अधीन उसी राशि का हकदार होगा जो कम हो।

(ग) उत्तरवर्ती नियमों के उपबंधों के अध्यधीन किसी सदस्य के किसी माह का वेतन उत्तरवर्ती माह के प्रथम दिन को देय होगाः

परन्तु किसी सदस्य का स्थान रिक्त होने की दशा में, उसका वेतन उसी दिन तक देय होगा जिस दिन वह स्थान रिक्त होता हो तथा वेतन की निकासी उसके पश्चात किसी भी दिन की जा सकेगी।

(घ) स्थान रिक्त होने संबंधी सूचना की एक प्रति अंतिम वेतन विपत्र के साथ संलग्न की जायेगी।

टिप्पणी – वेतन, भत्ते इत्यादि की निकासी, भुगतान एवं लेखा संधारण की प्रक्रियायें पूर्ववत रहेंगी।

4. **क्षेत्रीय भत्ता।** – बिहार विधान मण्डल के प्रत्येक सदस्य भारत के चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचित किये जाने की तिथि से प्रतिमाह रू0 10000/– क्षेत्रीय भत्ता पाने का हकदार होगा।

5. **मोटर गाड़ी क्रय हेतु ऋण की सुविधा।** – बिहार विधान मण्डल के किसी सदस्य की मांग पर मोटर गाड़ी क्रय हेतु गाड़ी के मूल्य के समतुल्य राशि या अधिकतम छह लाख, रुपये जो भी कम हो, निम्नलिखित शर्तों के अधीन, राज्य सरकार द्वारा ऋण के रूप में स्वीकृत की जायेगी :–

(i) अग्रिम स्वीकृत करने हेतु वित्त विभाग के प्राधिकृत पदाधिकारी, मंजूरी पदाधिकारी होंगे। अग्रिम की स्वीकृति के लिए आवश्यक आदेश वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी किये जायेंगे और स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं वितरण एवं वसूली, यथास्थिति, विधान सभा/परिषद् सचिवालय द्वारा किया जायेगा।

(ii) मोटर गाड़ी अग्रिम की राशि (चेक/बैंक ड्राफ्ट) गाड़ी की कम्पनी/डीलर को सीधे भुगतेय होगी।

(iii) इस नियामावली के अन्य शर्तों के अधीन रहते हुए, वैसे विधान मण्डल के सदस्य भी मोटर गाड़ी क्रय हेतु पुनः अग्रिम प्राप्त करने के हकदार होंगे, जो पूर्व में मोटर गाड़ी क्रय हेतु ली गयी अग्रिम की पूर्ण राशि, ब्याज सहित, वापस कर चुके हों, अथवा शेष अग्रिम की राशि सूद सहित यदि एक मुश्त लौटा देतें हैं। विधान मण्डल के वैसे सदस्य, जो पुनः अग्रिम की मांग करते हों, उन्हें, यथास्थिति, सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद् से प्राप्त इस आशय का प्रमाण–पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना होगा कि पूर्व में ली गयी अग्रिम की राशि सूद सहित वापस कर दी गयी हैः

परन्तु, सदस्यों को एक कार्यकाल में सिर्फ एक बार कार–अग्रिम दिया जायेगा।

(iv) यदि मोटरगाड़ी का वास्तविक मूल्य स्वीकृत धनराशि से कम हो तो शेष धनराशि सरकार को तुरत लौटा दी जायेगी।

(v) स्वीकृत धनराशि के आहरण के पूर्व ही सदस्य को नियमावली के परिशिष्ट (क) में विहित प्रपत्र में एक अनुबंध पत्र भरकर प्रस्तुत करना होगा। स्वीकृत अग्रिम के आहरण के एक महीने के भीतर संबंधित सदस्य मोटरगाड़ी क्रय करके नियमावली की परिशिष्ट (ख) में विहित प्रपत्र में बंधक–पत्र प्रस्तुत करेंगे जिसमें अन्य बातों के अतिरिक्त क्रय किये गये वाहन को बिहार राज्यपाल के नाम बंधक रखा जायेगा। अनुबंध–पत्र और बंधक–पत्र सुरक्षा तथा अभिलेख हेतु सरकार को प्रस्तुत किये जायेगें।

(vi) मोटर गाड़ी अग्रिम पर 5 प्रतिशत (पांच प्रतिशत) साधारण वार्षिक ब्याज देय होगा।

(vii) मोटर गाड़ी अग्रिम की वसूली 60 (साठ) समान मासिक किश्तों में और यदि संबंधित सदस्य की विधान मण्डल की सदस्यता की अवधि 5 वर्षों से कम हो, तो ऐसे सदस्य की सदस्यता की आगामी अवधि के भीतर साठ से कम समान मासिक किश्तों में की जा सकेगी।

(viii) इस नियमावली के अधीन स्वीकृत अग्रिम तथा इस पर देय ब्याज की वसूली सदस्यों से उनके वेतन एवं भत्ते, यात्रा–भत्ता या किसी अन्य भत्ता या बिल से विधान सभा/विधान परिषद् के सचिव द्वारा अपेक्षित धनराशि की कटौती की जायेगी।

(ix) यदि ऋणी विधान मण्डल का सदस्य न रह जाय, तो मोटरगाड़ी अग्रिम की राशि, ब्याज सहित उनकी सदस्यता की अवधि की समाप्ति के बाद भी उनको देय पेंशन से वसूल की जायेगी।

(x) अग्रिम की वसूली मोटरगाड़ी क्रय हेतु स्वीकृत धनराशि के आहरण के तुरत बाद वाले माह से प्रारम्भ होगी।

(xi) सदस्य के अग्रिम की, ब्याज सहित, अवशेष सम्पूर्ण धनराशि नियत अवधि से पहले एकमुश्त जमा करने की छूट होगी।

(xii) यदि अग्रिम प्राप्त करने वाला सदस्य मंत्री के रूप में नियुक्त हो जाय तो भुगतेय ब्याज की दर, उसकी वसूली हेतु निर्धारित किश्तों की संख्या एवं अन्य शर्तें वही रहेंगी, जो इस नियमावली के अधीन विहित की गयी है।

(xiii) अग्रिम एवं ब्याज की वसूली का लेखा, यथास्थिति, विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय द्वारा रखा जायेगा। पेंशन से वसूली की स्थिति में, संबंधित जिले के कोषागार पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक माह इस आशय का एक प्रमाण–पत्र, यथास्थिति, विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय को प्रेषित किया जायेगा कि संबंधित व्यक्ति से संबंधित माह में अग्रिम/सूद की किश्त की वसूली कर ली गयी है और सुसंगत प्राप्ति लेखा शीर्ष में जमा कर दिया गया है।

(xiv) यदि अग्रिम तथा उस पर देय ब्याज की सम्पूर्ण धनराशि की वसूली के पहले ही सदस्य की मृत्यु हो जाये या वह किसी भी कारण से विधान मण्डल का सदस्य न रह जाय और वह पेंशन का हकदार न हो, या उसे किसी भी कारण से पेंशन नहीं प्राप्त हो या पेंशन बंद हो जाय और किसी अन्य कारण से वह अग्रिम/ब्याज की किश्तों का नियमित भुगतान नहीं कर पाये तो अग्रिम तथा उस पर देय ब्याज की अवशेष धनराशि, राज्य सरकार द्वारा वसूलनीय होगी और राज्य सरकार अवशेष राशि को सदस्य या उसके विधिक उत्तराधिकारियों से किसी भी तरह अथवा लोक मांग वसूली अधिनियम के अधीन लोक मांग वसूली के रूप में वसूली कर सकेगी।

(xv) 1— यदि जिस वाहन का क्रय सरकार से प्राप्त अग्रिम की सहायता से किया गया हो परन्तु अग्रिम की राशि अभी वसूलनीय हो, वैसी स्थिति में, गाड़ी को, उधार लेने वाला सदस्य, राज्य सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त कर बेच सकता है।

2— राज्य सरकार, वैसे दृष्टांतों में जिसमें अग्रिम की पूर्ण वसूली के पूर्व ही नये वाहन के क्रय हेतु पूर्व में अग्रिम से लिया गया वाहन बेचा जाता है, ऐसी बिक्री से प्राप्त राशि का उपयोग निम्नांकित शर्तों के अधीन, नये वाहन के क्रय हेतु करने की स्वीकृति दे सकते हैं :—

(क) बकाया अग्रिम की राशि क्रय किये जानेवाले वाहन की कीमत से ज्यादा न हो,

(ख) बकाया अग्रिम की राशि पूर्व से निर्धारित किश्तों एवं ब्याज की दर पर वसूल की जायेगी,

(ग) नये क्रय किये जानेवाले वाहन को बीमा कराकर राज्यपाल के नाम बंधक रखना होगा।

6. **स्टेशनरी की सुविधा।** — बिहार विधान मण्डल के प्रत्येक सदस्य को भारत चुनाव आयोग के द्वारा अधिसूचित करने की तिथि से संसदीय कार्यों के सम्पादन के क्रम में पोस्टल, स्टेशनरी और कार्यालय व्यय वहन करने के लिए 4000/— (चार हजार) रुपये प्रतिमाह की दर से स्टेशनरी भत्ता भुगतेय होगा।

7. **निजी सहायक की सुविधा।** — प्रत्येक सदस्य भारत के चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचित किये जाने की तिथि से संसदीय कार्यों में सहायता के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन निजी सहायक/सहायकों को रख सकेगें; जिसके लिए उन्हें मात्र 10000/— (दस हजार) रुपये प्रतिमाह भुगतेय होगाः

परन्तु यह कि एक से अधिक निजी सहायक रखने पर भी अधिकतम 10000/— रू0 प्रतिमाह ही देय होगा और यह राशि सीधे निजी सहायक/सहायको को हीं भुगतेय होगा।

निबंधन संख्या पी०टी०-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 अग्रहायण 1940 (श०)

(सं० पटना 1017) पटना, सोमवार, 3 दिसम्बर 2018

संसदीय कार्य विभाग

अधिसूचना

26 नवम्बर 2018

सं० सं०का०-1/वि०मं०(सदस्यों का वेतन एवं भत्ते)05-06/2017-793---बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन) अधिनियम, 2006 (अधिनियम सं०-16, 2006) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 8 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) नियमावली, 2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं-

बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) नियमावली, 2018

1. संक्षिप्त नाम और आरंभ।- (1) यह नियमावली बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) नियमावली, 2018 कही जा सकेगी।

(2) यह दिनांक 01 दिसम्बर, 2018 से प्रवृत्त होगी।

2. उक्त नियमावली, 2006 के नियम 3(ख) में संशोधन।- उक्त नियमावली, 2006 के नियम 3(ख) की चौथी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक "30,000/- (तीस हजार) रूपये" को अंक, शब्द एवं कोष्ठक "40,000/- (चालीस हजार) रूपये" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

3. उक्त नियमावली, 2006 के नियम 4 में संशोधन।- उक्त नियमावली, 2006 के नियम 4 की दूसरी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक "45,000/- (पैंतालीस हजार) रूपये" को अंक, शब्द एवं कोष्ठक "50,000/- (पचास हजार) रूपये" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

मोटरकार अग्रिम → 4. उक्त नियमावली, 2006 के नियम 5 में संशोधन।- उक्त नियमावली, 2006 के नियम 5 की तीसरी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक "10,00,000/- (दस लाख) रूपये" को अंक, शब्द एवं कोष्ठक "15,00,000/- (पन्द्रह लाख) रूपये" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

5. उक्त नियमावली, 2006 के नियम 6 में संशोधन।- उक्त नियमावली, 2006 के नियम 6 की तीसरी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक "6,000/- (छः हजार) रूपये" को अंक, शब्द एवं कोष्ठक "10,000/- (दस हजार) रूपये" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

6. उक्त नियमावली, 2006 के नियम 7 में संशोधन।- उक्त नियमावली, 2006 के नियम 7 की चौथी, छठी एवं बारहवीं पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक "20,000/- (बीस हजार) रूपये" को अंक, शब्द एवं कोष्ठक "30,000/- (तीस हजार) रूपये" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

<u>बिहार विधान सभा सचिवालय</u>

माननीय सदस्यों को 17वीं विधान सभा की अवधि में दिनांक-30 जून, 2022 तक स्वीकृत मोटरकार अग्रिम की सूची :-

क्रम सं०	माननीय सदस्य का नाम	क्षेत्र सं०	स्वीकृत मोटरकार अग्रिम की राशि
1	श्रीमती भागीरथी देवी	2	800000.00
2	श्रीमती रश्मि वर्मा	3	1500000.00
3	श्री राम सिंह	4	1500000.00
4	श्री विनय बिहारी	5	1100000.00
5	श्री उमाकांत सिंह	7	1500000.00
6	श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता	9	1470000.00
7	श्री प्रमोद कुमार सिन्हा	10	1497000.00
8	ई0 शशि भूषण सिंह	11	1500000.00
9	श्री कृष्णनंदन पासवान	13	1500000.00
10	श्री सुनील मणि तिवारी	14	1500000.00
11	श्रीमती शालिनी मिश्रा	15	1258000.00
12	श्री राणा रणधीर	18	1470000.00
13	श्री चेतन आनन्द	22	1464900.00
14	श्री अनिल कुमार	24	1500000.00
15	श्रीमती गायत्री देवी	25	1500000.00
16	श्री दिलीप राय	26	1500000.00
17	श्री मुकेश कुमार यादव	27	1500000.00
18	श्रीमती मीना कुमारी	34	1500000.00
19	श्री समीर कुमार महासेठ	36	1500000.00
20	श्री अनिरूद्ध प्रसाद यादव	41	1500000.00
21	श्रीमती वीणा भारती	44	1500000.00
22	श्री जयप्रकाश यादव	46	1500000.00
23	श्री अचमित ऋषिदेव	47	1347000.00
24	श्री विद्या सागर केशरी	48	1500000.00
25	श्री विजय कुमार मंडल	51	1500000.00
26	श्री इजहारूल हुसैन	54	1007000.00
27	मो0 आफाक आलम	58	1500000.00
28	श्री कृष्ण कुमार ऋषि	59	1500000.00
29	श्रीमती बीमा भारती	60	1500000.00
30	श्री विजय कुमार खेमका	62	1500000.00

विक्रम कुमार
25.07.2022

माननीय सदस्यों को 17वीं विधान सभा की अवधि में दिनांक-30 जून, 2022 तक स्वीकृत मोटरकार अग्रिम की सूची :-

क्रम सं०	माननीय सदस्य का नाम	क्षेत्र सं०	स्वीकृत मोटरकार अग्रिम की राशि
31	श्री शकील अहमद खाँ	64	1500000.00
32	श्री महबूब आलम	65	1500000.00
33	श्रीमती निशा सिंह	66	1500000.00
34	श्री मनोहर प्रसाद सिंह	67	1500000.00
35	श्रीमती कविता देवी	69	1500000.00
36	श्री निरंजन कुमार मेहता	71	1500000.00
37	श्री चन्द्रहास चौपाल	72	1500000.00
38	श्रीमती स्वर्णा सिंह	79	1500000.00
39	श्री विनय कुमार चौधरी	80	1500000.00
40	श्री राम चन्द्र प्रसाद	84	1500000.00
41	श्री मुरारी मोहन झा	86	1500000.00
42	श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव	90	1500000.00
43	श्री अनिल कुमार साहनी	93	1500000.00
44	मोहम्मद इसराईल मंसूरी	95	1500000.00
45	श्री राजू कुमार सिंह	98	1500000.00
46	श्री प्रेम शंकर प्रसाद	99	1500000.00
47	श्री राजेश कुमार सिंह	104	1500000.00
48	श्री अमरजीत कुशवाहा	106	1500000.00
49	श्री सत्यदेव राम	107	1029000.00
50	श्री हरिशंकर यादव	108	1500000.00
51	श्री देवेश कान्त सिंह	111	1500000.00
52	श्री श्रीकान्त यादव	113	1500000.00
53	डॉ0 सत्येन्द्र यादव	114	1470000.00
54	श्री केदार नाथ सिंह	115	1500000.00
55	श्री जनक सिंह (उप मुख्य सचेतक, सत्तारूढ दल)	116	1500000.00
56	श्री चतुर्भुज नाथ गुप्ता	118	1500000.00
57	श्री सुरेन्द्र राम	119	1500000.00
58	श्री छोटे लाल राय	121	1497000.00
59	डॉ0 रामानुज प्रसाद	122	1500000.00

विक्रम कुमार
05.07.2022

माननीय सदस्यों को 17वीं विधान सभा की अवधि में दिनांक-30 जून, 2022 तक स्वीकृत मोटरकार अग्रिम की सूची :-

क्रम सं०	माननीय सदस्य का नाम	क्षेत्र सं०	स्वीकृत मोटरकार अग्रिम की राशि
60	श्री अवधेश सिंह	123	1500000.00
61	श्री संजय कुमार सिंह	124	1500000.00
62	श्री सिद्धार्थ पटेल	125	1500000.00
63	श्री मुकेश कुमार रौशन	126	1500000.00
64	श्रीमती प्रतिमा कुमारी	127	1500000.00
65	श्री राजेश कुमार सिंह	137	1500000.00
66	श्री अजय कुमार	138	1500000.00
67	श्री बीरेन्द्र कुमार	139	1500000.00
68	श्री तेजप्रताप यादव	140	1500000.00
69	श्री राजवंशी महतो	141	1500000.00
70	श्री सुरेन्द्र मेहता	142	1500000.00
71	श्री राम रतन सिंह	143	1500000.00
72	श्री राज कुमार सिंह	144	1500000.00
73	श्री सतानन्द सम्बुद्ध उर्फ ललन	145	1500000.00
74	श्री कुंदन कुमार	146	1500000.00
75	श्री सुर्यकान्त पासवान	147	1500000.00
76	श्री पन्ना लाल सिंह पटेल	150	1500000.00
77	श्री कुमार शैलेन्द्र	152	1500000.00
78	श्री ललन कुमार	154	1258000.00
79	श्री ललित नारायण मंडल	157	1500000.00
80	श्री अली अशरफ सिद्दिकी	158	1500000.00
81	श्रीमती डॉ0 निक्की हेम्ब्रम	162	1500000.00
82	श्री मनोज यादव	163	1500000.00
83	श्री राजीव कुमार सिंह	164	1500000.00
84	श्री प्रणव कुमार	165	1347000.00
85	श्री अजय कुमार सिंह	166	1500000.00
86	श्री सुदर्शन कुमार	170	1500000.00
87	डॉ0 सुनिल कुमार	172	1500000.00
88	श्री कौशल किशोर	173	1500000.00
89	श्री राकेश कुमार रौशन	174	1500000.00
90	श्री कृष्णामुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया	175	1500000.00

विक्रम कुमार
05.07.2022

माननीय सदस्यों को 17वीं विधान सभा की अवधि में दिनांक-30 जून, 2022 तक स्वीकृत मोटरकार अग्रिम की सूची :-

क्रम सं०	माननीय सदस्य का नाम	क्षेत्र सं०	स्वीकृत मोटरकार अग्रिम की राशि
91	श्री हरि नारायण सिंह	177	1500000.00
92	श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह	179	1105000.00
93	श्री अनिरूद्ध कुमार	180	1500000.00
94	श्री अरूण कुमार सिन्हा	183	1500000.00
95	श्री भाई वीरेन्द्र	187	1500000.00
96	श्री गोपाल रविदास	188	1258300.00
97	श्रीमती रेखा देवी	189	1500000.00
98	श्री सिद्धार्थ सौरव	191	1500000.00
99	श्रीमती किरण देवी	192	1326680.00
100	श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह	193	1500000.00
101	श्री मनोज मंजिल	195	1258000.00
102	श्री राम विशुन सिंह	197	1404000.00
103	श्री राहुल तिवारी	198	993000.00
104	श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी	200	1500000.00
105	श्री अजीत कुमार सिंह	201	1214000.00
106	श्री विश्वनाथ राम	202	1500000.00
107	श्री सुधाकर सिंह	203	1245000.00
108	श्रीमती संगीता कुमारी	204	1500000.00
109	श्री भरत बिन्द	205	1500000.00
110	श्री मुरारी प्रसाद गौतम	207	1500000.00
111	श्री संतोष कुमार मिश्रा	209	1500000.00
112	श्री विजय कुमार मंडल	210	1500000.00
113	श्री अरूण सिंह	213	1258000.00
114	श्री महा नंद सिंह	214	1500000.00
115	श्री रामबली सिंह यादव	217	1471500.00
116	श्री सतीश कुमार	218	1500000.00
117	श्री भीम कुमार सिंह	219	1500000.00
118	श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह	221	1500000.00
119	श्री आनन्द शंकर सिंह	223	1500000.00
120	श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन	224	1500000.00
121	श्रीमती मंजु अग्रवाल	226	1500000.00

विक्रम कुमार
05.07.2022

माननीय सदस्यों को 17वीं विधान सभा की अवधि में दिनांक-30 जून, 2022 तक स्वीकृत मोटरकार अग्रिम की सूची :-

क्रम सं०	माननीय सदस्य का नाम	क्षेत्र सं०	स्वीकृत मोटरकार अग्रिम की राशि
122	श्री प्रकाश वीर	235	1500000.00
123	श्रीमती नीतु कुमारी	236	1500000.00
124	श्रीमती विभा देवी	237	1500000.00
125	श्री मोहम्मद कामरान	238	1500000.00
126	श्रीमती अरूणा देवी	239	1500000.00
127	श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी	240	1500000.00
128	सुश्री श्रेयसी सिंह	241	1500000.00

विक्रम कुमार
05.07.2022

मोटरकार खरीदने के निमित्त अग्रिम के लिए आवेदन-पत्र का प्रपत्र

1. आवेदक का पूरा नाम, क्षेत्र संख्या-

2. पिता/पति का नाम-

3. आवेदक का पदनाम-

4. कार्यालय का नाम-:

   घर का स्थायी पता-:

   पटना का वर्तमान पता-:

5. मोटरकार का अनुमानित मूल्य-:

6. अपेक्षित अग्रिम का रकम-:

7. सदस्यता समाप्ति की तिथि-:

8. अग्रिम कटौती के किस्तों की संख्या-:

9. क्या आपने ऐसे काम के लिए पहले भी अग्रिम लिया है,
   यदि हाँ तो अग्रिम पाने की तारीख-:

10. अग्रिम प्राप्ती की तारीख से एक महीने के भीतर मोटरकार खरीद लेंगे:-

11. सदस्यता की शेष अवधि-:

12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पता-:

13. किस कोषागार से निकासी की जाएगी-:

आवेदक का हस्ताक्षर
स०वि०स०,
दिनांक:-

KYP (KNOW YOUR PAYEE) FORM

1	NAME	
2	DATE OF BIRTH	
3	GENDER	
4	MOBILE NO.	
5	EMAIL	
6	FATHER'S / HUSBAND'S NAME	
7	MOTHER'S NAME	
8	SPOUSE NAME	
9	QUALIFICATION	
10	CATEGORY	
11	MINORITY (YES / NO)	
12	NATIONALITY	
13	PAN NO.	
14	AADHAR NO.	
15	BANK NAME	
16	ACCOUNT TYPE	
17	ACCOUNT NO.	
18	IFSC CODE	
19	PRESENT ADDRESS :-	
	PERMANENT ADDRESS :-	
20	APPOINTMENT ORDER AND DATE	
21	SUPERANNUATION DATE	
22	JOINING DATE	

<u>माननीय सदस्य का हस्ताक्षर</u>

क्षेत्र संख्या-

परिशिष्ट-"क"

मोटर गाड़ी क्रय करने के लिये अग्रिम लेते समय निष्पादित किये जाने वाले करार का प्रपत्र ।

यह करार आज दिनांक-
तदनुसार शक संवत् दिनांक- को श्री/श्रीमती/कुमारी
। आत्मज/पत्नी/आत्मजा
निवासी [पदनाम] राज्य विधान सभा/परिषद् के सदस्य/[जिसे आगे "उधार लेने वाला" कहा गया है और जिस पद के अन्तर्गत उसके विधिक प्रतिनिधि और समनुदेशिती भी है । एक पक्ष और बिहार के राज्यपाल [जिन्हें आगे] राज्यपाल कहा गया है । दूसरे पक्ष के बीच किया गया ।

चूंकि उधार लेने वाले ने बिहार राज्य विधान मंडल सदस्यों को मोटर गाड़ी क्रय हेतु अग्रिम [नियमावली-1993] जिसे आगे [उक्त नियमावली कहा गया है । मोटर गाड़ी क्रय करने के लिए रुपये] केवल रुपये]ऋण की स्वीकृति के लिये राज्यपाल को आवेदन किया है और राज्यपाल आगे दिये गये निबंधनों और शर्तों पर उधार लेने वाले को उक्त धनराशि उधार के लिए सहमत है ।

अतएव अब इस करार पत्र के उभय पक्षधरों के मध्य एतद् द्वारा यह करार किया जाता है कि राज्यपाल द्वारा उधार लेने वाले को रुपये [केवल रुपये] की धनराशि का भुगतान किये जाने [जिसकी प्राप्ति उधार लेने वाले एतद् द्वारा स्वीकार करता है] के प्रतिफल स्वरूप उधार लेने वाले राज्यपाल से यह करार करता है कि [1] उधार लेने वाला राज्य विधान मंडल के सदस्य के रूप में प्राप्त होने वाले वेतन भत्ता, यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, प्रतिकर आवास भत्ते और अन्य भत्ते में से या उक्त नियमावली में यथा उपबंधित अपनी पेंशन या उसे प्राप्त होने वाली किसी अन्य धनराशि से मासिक कटौती कराकर, जिसके लिए उधार लेने वाला एतद् द्वारा राज्यपाल को प्राधिकृत करता है, उक्त ऋण पर उक्त नियमावली के अनुसार संगणित सूद सहित राज्यपाल को भुगतान करेगा और [2] इस करार पत्र के निष्पादन की तिथि से एक मास के भीतर उक्त ऋण की संपूर्ण धनराशि मोटर गाड़ी क्रय करने में व्यय करेगा तथा यदि भुगतान किया गया वास्तविक मूल्य ऋण की धनराशि से कम है तो अन्तर की धनराशि राज्यपाल को तुरन्त वापस करेगा और [3] उक्त मोटर गाड़ी को स्वीकृत ऋण व इस पर संगणित सूद की धनराशि की प्रतिभूति स्वरूप राज्यपाल के पक्ष में बन्धक करते हुए उक्त नियमावली में दिये हुए पत्र में बन्धक पत्र निष्पादित करेगा और एतद् द्वारा अग्रेतर यह

कृ० पृ० उ०

भी करार किया जाता है और घोषणा की जाती है कि यदि मोटर गाड़ी को इस करार पत्र के दिनांक से एक मास के भीतर उपर्युक्त के अनुसार खरीदा और आडमान नहीं रखा जाता है या यदि उधार लेने वाला उस अवधि के भीतर दिवालिया हो जाता है या उसे किसी भी कारण से राज्य विधान मंडल का सदस्य नहीं रह जाता है और पेंशन का हकदार नहीं होता चाहे किसी भी कारण से उसे पेंशन नहीं मिलती है या पेंशन मिलना बंद हो जाता है या ऋण की प्रतिसंदाय किस्त या उस पर ब्याज का भुगतान करने में असफल रहता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो ऋण की सम्पूर्ण धनराशि और उस पर देय सूद तुरन्त देय और संदेय हो जायेगा ।

उधार लेने वाला एतद् द्वारा यह करार करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि राज्यपाल, सचिव, विधान सभा/ विधान परिषद् के प्रमाण पत्र पर जो अन्तिम निश्चायक और उधार लेने वालों पर बाध्यकर होगा इसके अधीन समस्त देयों को उधार लेने वाले पर बाध्यकर होगा उसके अधीन समस्त देयों को उधार लेने वाले से भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल कर सकते है और अन्ततः यह करार किया जाता है और घोषणा की जाती है कि राज्यपाल उक्त अग्रिम को सूद सहित बकाया राशि को उधार लेने वाले के विधिक प्रतिनिधियों से जो मांग के रूप में वसूल करने के हकदार होंगे ।

जिसके साक्ष्य में उधार लेने वाले ने उपर प्रथम उल्लिखित दिनांक और वर्ष को इस पर अपना हस्ताक्षर कर दिया है ।

निम्नलिखित उपस्थिति में द्वारा हस्ताक्षर किया गया ।

(नाम पता सहित)

(1)

(2)

परिशिष्ट-"क"

मोटर गाड़ी क्रय करने के लिये अग्रिम लेते समय निष्पादित किये जाने वाले करार का प्रपत्र ।

यह करार आज दिनांक- ....

तदनुसार शक संवत् दिनांक- को श्री/श्रीमती/कुमारी

। आत्मज/पत्नी/आत्मजा

निवासी (पदनाम) राज्य विधान सभा/परिषद् के सदस्य/(जिसे आगे "उधार लेने वाला" कहा गया है और जिस पद के अन्तर्गत उसके विधिक प्रतिनिधि और समनुदेशिती भी है । एक पक्ष और बिहार के राज्यपाल (जिन्हें आगे) राज्यपाल कहा गया है । दूसरे पक्ष के बीच किया गया ।

चूंकि उधार लेने वाले ने बिहार राज्य विधान मंडल सदस्यों को मोटर गाड़ी क्रय हेतु अग्रिम (नियमावली-1993) जिसे आगे (उक्त नियमावली कहा गया है । मोटर गाड़ी क्रय करने के लिए रुपये (केवल रुपये) ऋण की स्वीकृति के लिये राज्यपाल को आवेदन किया है और राज्यपाल आगे दिये गये निबंधनों और शर्तों पर उधार लेने वाले को उक्त धनराशि उधार के लिए सहमत है ।

अतएव अब इस करार पत्र के उभय पक्षधरों के मध्य एतद् द्वारा यह करार किया जाता है कि राज्यपाल द्वारा उधार लेने वाले को रुपये (केवल रुपये) की धनराशि का भुगतान किये जाने (जिसकी प्राप्ति उधार लेने वाले एतद् द्वारा स्वीकार करता है) के प्रतिफल स्वरूप उधार लेने वाले राज्यपाल से यह करार करता है कि (1) उधार लेने वाला राज्य विधान मंडल के सदस्य के रूप में प्राप्त होने वाले वेतन भत्ता, यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, प्रतिकर आवास भत्ते और अन्य भत्ते में से या उक्त नियमावली में यथा उपबंधित अपनी पेंशन या उसे प्राप्त होने वाली किसी अन्य धनराशि से मासिक कटौती कराकर, जिसके लिए उधार लेने वाला एतद् द्वारा राज्यपाल को प्राधिकृत करता है, उक्त ऋण पर उक्त नियमावली के अनुसार संगणित सूद सहित राज्यपाल को भुगतान करेगा और (2) इस करार पत्र के निष्पादन की तिथि से एक मास के भीतर उक्त ऋण की संपूर्ण धनराशि मोटर गाड़ी क्रय करने में व्यय करेगा तथा यदि भुगतान किया गया वास्तविक मूल्य ऋण की धनराशि से कम है तो अन्तर की धनराशि राज्यपाल को तुरन्त वापस करेगा और (3) उक्त मोटर गाड़ी को स्वीकृत ऋण व इस पर संगणित सूद की धनराशि की प्रतिभूति स्वरूप राज्यपाल के पक्ष में बन्धक करते हुए उक्त नियमावली में दिये हुए पत्र में बन्धक पत्र निष्पादित करेगा और एतद् द्वारा अग्रेत्तर यह

भी करार किया जाता है और घोषणा की जाती है कि यदि मोटर गाड़ी को इस करार पत्र के दिनांक से एक मास के भीतर उपर्युक्त के अनुसार खरीदा और आडमान नहीं रखा जाता है या यदि उधार लेने वाला उस अवधि के भीतर दिवालिया हो जाता है या वह किसी भी कारण से राज्य विधान मंडल का सदस्य नहीं रह जाता है और पेंशन का हकदार नहीं होता चाहे किसी भी कारण से उसे पेंशन नहीं मिलती है या पेंशन मिलना बंद हो जाता है या ऋण की प्रतिसंदाय किस्त या उस पर ब्याज का भुगतान करने में असफल रहता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो ऋण की सम्पूर्ण धनराशि और उस पर देय सूद तुरन्त देय और संदेय हो जायेगा ।

उधार लेने वाला एतद् द्वारा यह करार करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि राज्यपाल, सचिव, विधान सभा/ विधान परिषद् के प्रमाण पत्र पर जो अन्तिम निश्चायक और उधार लेने वालों पर बाध्यकर होगा इसके अधीन समस्त देयों को उधार लेने वाले पर बाध्यकर होगा उसके अधीन समस्त देयों को उधार लेने वाले से भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल कर सकते है और अन्ततः यह करार किया जाता है और घोषणा की जाती है कि राज्यपाल उक्त अग्रिम को सूद सहित बकाया राशि को उधार लेने वाले के विधिक प्रतिनिधियों से जो मांग के रूप में वसूल करने के हकदार होंगे ।

जिसके साक्ष्य में उधार लेने वाले ने उपर प्रथम उल्लिखित दिनांक और वर्ष को इस पर अपना हस्ताक्षर कर दिया है ।

निम्नलिखित उपस्थिति में. द्वारा हस्ताक्षर किया गया ।

(नाम पता सहित)

(1)

(2)

बिहार विधान सभा सचिवालय

घोषणा-पत्र

(दो प्रतियों में)

आज दिनांक ....को मैं ....

स0वि0स0, क्षेत्र संख्या ....पिता/पति/पत्नी श्री/श्रीमती...............................

................पताः–..

.... घोषणा करता/करती हूँ कि वित्त विभाग के स्वीकृत्यादेश संख्या ...., दिनांक ...., एवं ज्ञापांक ...., दिनांक .... के द्वारा मेरे नाम से स्वीकृत मोटरकार अग्रिम अंके ....(..) रूपये की सूद सहित वसूली के दरम्यान यदि किसी कारणवश मैं बिहार विधान सभा का सदस्य नहीं रह जाऊँ अथवा मेरी सदस्यता समाप्ति के पश्चात् भी उक्त मोटरकार अग्रिम की राशि वसूली हेतु अवशेष रह जाये, तो ऐसी स्थिति में अवशेष राशि मेरे देय पेंशन से वसूल कर ली जाय ।

सदस्य का हस्ताक्षर

सदस्य का नाम :-

क्षेत्र संख्या एवं नाम :-

बिहार विधान सभा सचिवालय

घोषणा-पत्र

(दो प्रतियों में)

आज दिनांक ....को मैं ....

स0वि0स0, क्षेत्र संख्या ....पिता/पति/पत्नी श्री/श्रीमती.............................

...............पताः–...

.... घोषणा करता/करती हूँ कि वित्त विभाग के स्वीकृत्यादेश संख्या ...., दिनांक ...., एवं ज्ञापांक ...., दिनांक .... के द्वारा मेरे नाम से स्वीकृत मोटरकार अग्रिम अंके ....(....) रूपये की सूद सहित वसूली के दरम्यान यदि किसी कारणवश मैं बिहार विधान सभा का सदस्य नहीं रह जाऊँ अथवा मेरी सदस्यता समाप्ति के पश्चात् भी उक्त मोटरकार अग्रिम की राशि वसूली हेतु अवशेष रह जाये, तो ऐसी स्थिति में अवशेष राशि मेरे देय पेंशन से वसूल कर ली जाय ।

सदस्य का हस्ताक्षर

सदस्य का नाम :-

क्षेत्र संख्या एवं नाम :-